भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1877
जिसका उत्तर गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

हलफनामा दाखिल नहीं करने के कारण मामलों में देरी

1877 डा. अशोक बाजपेयी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकार और उसके निगमों की ओर से हलफनामे / उत्तर दाखिल न करने के कारण अक्सर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान में देरी होती है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा नोटिस/कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने की तारीख से इसका जवाब दाखिल करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार की ओर से प्रतिक्रियाएं / शपथपत्र समय पर दायर किए जाएं, कोई निगरानी प्रणाली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जी, हां । सूचना संकलित की गई है और **उपाबंध-क** के अनुसार है ।

******

उपाबंध-क

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग का नाम**	**(क) क्या सरकार अवगत है कि न्यायालय द्वारा मामलों के निपटान में हुआ विलंब, सरकार और इसके निगमों की ओर से शपथपत्र और जवाब के न फाइल करने के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा होती है**	**(ख) क्या नोटिस/कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने की तारीख से जवाब फाइल करने तक सरकार द्वारा कोइ समय निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो इसके ब्यौरे**	**(ग) मानीटरिंग प्रणाली के ब्यौरे, यदि कोई हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार की ओर से जवाब/शपथपत्र समय से फाइल किए गए हैं**
1.	**विदेश मंत्रालय**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रशासित विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिम्बस पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रजिस्ट्रीकृत हैं । लिम्बस पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं ।
2.	**कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है ।
3.	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**	मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई मामला मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आया है	कुछ नहीं	विधिक सूचना और मानीटरिंग (एलआईएमबीएस) मानीटरिंग प्रणाली है, जो सरकार की ओर से

		।		जवाबों/शपथपत्रों को समय से फाइल करने को सुनिश्चित करती है ।
4.	**गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	**वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग**	सार्वजनिक उद्यम विभाग इस संबंध में सरकार के मौजूदा निदेशों का पालन करता है ।	सार्वजनिक उद्यम विभाग इस संबंध में सरकार के मौजूदा निदेशों का पालन करता है ।	सार्वजनिक उद्यम विभाग इस संबंध में सरकार के मौजूदा निदेशों का पालन करता है ।
6.	**जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	**कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी मुख्य रूप से विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है ।
8.	**रक्षा मंत्रालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	**वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	वित्तीय सेवा विभाग ने इन न्यायालयी मामलों में प्राप्त न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी के लिए मानीटर सेल के लिए विधिक मानीटरिंग सेल की स्थापना की है, जिसकी नियमित अंतराल पर ज्येष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाती है ।
10.	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11.	**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12.	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**	कुछ नहीं	यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंत्रालय में इस मामले में याचिका की एक अग्रिम प्रति प्राप्त होने पर इसे बिना किसी देरी के प्ररूप	विधि और न्याय मंत्रालय (एमओएल एंड जे) द्वारा डिजाइन और विकसित विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल का

			शपथपत्र के साथ फाइल करने पर तुरंत संसाधित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, यदि मामले में नोटिस माननीय न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, तो मामले में शपथपत्र माननीय न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा को ध्यान में रखते हुए फाइल किया जाएगा ।	उपयोग न्यायालयी मामलों की मानीटरिंग के लिए किया जाता है । इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल नहीं किया जाता है, उनकी मानीटरी संयुक्त सचिव के स्तर पर की जाती है ।
13.	**केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण**	सीईए से संबंधित न्यायालयी मामलों में, उच्चतम न्यायालय और/या उच्च न्यायालयों में शपथपत्रों को भरने में कोई देरी या लंबितता नहीं है और सभी शपथपत्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइल किया गया है । न्यायालयी मामलों की नियमित मानीटरिंग के लिए, सीईए विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, ई- न्यायालय आदि की वेबसाइट का उपयोग करता है ।		
14.	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक**	कुछ नहीं		लिम्बस पोर्टल पर न्यायालयी मामले की स्थिति प्रदर्शित की जाती है और जब भी न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख अधिसूचित की जाती है तो स्थिति को अपडेट किया जाता है ।
15.	**भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग**	इस मंत्रालय से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायालयी मामलों के शपथपत्र/जवाब निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार की ओर से फाइल किए जाते हैं । इन मामलों को विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल/आंतरिक प्रणाली पर समय-समय पर अद्यतन और मॉनिटर किया जाता है ।		
16.	**नागर विमानन मंत्रालय**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	एमओएलजे द्वारा विकसित विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएम बीएस) है, जिसमें एमओसीए, इसके अधीनस्थ संगठन और स्वायत्त निकाय न्यायालयी मामलों से संबंधित डेटा को लगातार अपलोड/अपडेट करते हैं ।